न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :: 65/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/106

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी :–
मनुभाई वल्द रायचन्द भाई रावल, निवासी ढ़लेना, जालोतरा, बनासकाठा, गुजरात		सरकार जरिये अनुसंधान अधिकारी उप निरीक्षक ओमप्रकाश, पुलिस थाना सदर पाली (राज.)

अन्तर्गत धारा 7(5) राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार जैन
अप्रार्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री शिवनारायण (उपनिरीक्षक)

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 20.06.2025

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 7(5) राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत सी आर संख्या 155/2025 पुलिस थाना सदर, पाली जुर्म अन्तर्गत धारा 5/8(2) राज. गोवंश पशु अधिनियम (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन अधिनियम व 11 डी पशु क्रूरता अधिनियम) के तहत बंधक 12 दुधारू गाय एवं बाद अभिगृहीत बछड़े रिलीज करवाने बाबत् पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनुसंधान अधिकारी को मय प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार जैन व अप्रार्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री शिवनारायण (उपनिरीक्षक) पुलिस थाना सदर, पाली वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित आये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी पशु पालक एवं कृषक है व प्रार्थी ने अपने पशुपालन व्यवसाय हेतु 12 दुधारू गाये पशु मण्डी मेरठ शामली करनाल रोड़ बपारसी में अलग–अलग व्यक्तियों से क्रय की। उक्त गाय खरीद के बाद उसे इन गायों को पालनपुर ले जाने हेतु ग्राम जिला पंचायत मेरठ पशु लदान ढुलान, पशु पैठ बपारसी, थाना सरधना से अधिकृत अधिकारी अ.मु. अ./उगानी अधिकारी से ट्रांजिट रशीद करवाई। उक्त गायों के खरीद करने के पश्चात उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया, जो स्वास्थ्य परीक्षण वेटेरनरी मेडिकल ऑफिसर मेरठ से करवाया गया। जब गायों को मेरे व्यवसाय के लिए निर्धारित स्थान पर ले जाते समय मिथ्या सूचना के आधार पर पुलिस थाना सदर पाली के उपनिरीक्षक ने उक्त वाहन को सीज कर लिया एवं उक्त वाहन में 12 गायों को अभिगृहीत कर लिया एवं शिवनन्दी गौशाला राजेन्द्र नगर पाली में रखा गया। अतः प्रार्थना–पत्र पेशकर निवेदन है कि उक्त जब्तशुदा 12 गायों एवं बाद अभिगृहीत बछड़ों को प्रार्थी को सुपुर्द करने का आदेश फरमावे।

अप्रार्थी की ओर से वक्त बहस उनके प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि अब उक्त जब्तशुदा गायों की अनुसंधान हेतु आवश्यकता नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुना गया एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जब्तशुदा गायों से संबंधित फोटोग्राफ्स का अवलोकन किया गया जिसमें गायें स्वस्थ एवं दुधारू है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अवगत करवाया गया कि जब्तशुदा 12 गायों में से 11 गायों के तो बछड़े भी हो चुके है, साथ ही अनुसंधान अधिकारी के प्रतिनिधि ने अपने कथन में इन जब्तशुदा 12 गायों की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना अवगत करवाया है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट आता है कि प्रकरण में गवाहान हीरसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह राजपुरोहित, मानसिंह पुत्र रामसिंह विश्नोई, राधेश्याम पुत्र छोगानाथ लौहार, जितेन्द्र पुत्र श्रवणदास ब्राह्मण, तुलसीदास पुत्र रमेशदास वैष्णव, भाविन पुत्र दिलीप मेघवाल, राजकुमार पुत्र श्रवणकुमार सरगरा द्वारा कुल 27 गायों का ट्रक में होना कथन किया गया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुल 12 गाय जब्त करना तथा जब्ती व सुपुर्दगी 12 गायों की होना ही अवगत करवाया गया है। अतः गाये 12 थी अथवा 27, इस हेतु वस्तुस्थिति की जांच हेतु पुलिस अधीक्षक, पाली को लिखा जावे। हस्तगत प्रकरण में प्रासंगिक यह भी है कि वर्तमान में जो 12 गाये है उनसे संबंधित अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्रय एवं स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज तथा वर्तमान में गायों के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये है उनके अवलोकन से प्रथम–दृष्ट्या यह स्पष्ट होता है कि उक्त गाये स्वस्थ एवं दुधारू है तथा उनके बछड़े भी ज्यादातर यही गौशाला में हुए है अर्थात् जब्ती की गई गायों के स्वास्थ्य एवं दुधारू होने के दृष्टिगत उनका अन्यथा उपयोग की कोई संभावना नजर नहीं आती है। द्वितीयतः अनुसंधान अधिकारी के प्रतिनिधि ने भी अब जब्त दिखाई गई 12 गायों की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना अवगत करवाया है। अतएव जब्तशुदा 12 गायों एवं उनसे उत्पन्न बछड़े, (जिनकी संख्या का प्रमाण सुपुर्दगीकर्ता गौशाला द्वारा किया जायेगा) 10 लाख रूपये की ठोस जमानत प्रस्तुत करने पर तथा यथा आवश्यकता अनुसंधान या सक्षम न्यायालय में बुलवाये जाने पर गायों को पुनः प्रस्तुत करने की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उक्त जब्तशुदा 12 गायों एवं बाद अभिगृहीत बछड़ों को प्रार्थी को सुपुर्द करने की आज्ञा दी जाती है साथ ही थानाधिकारी उपरोक्तानुसार समन्वय कार्यवाही सम्पादित करवाकर न्यायालय हाजा में पालना प्रस्तुत करे। अनुसंधान पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर पाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। साथ ही निर्णय की एक सत्यप्रति निर्णय में ऊपर वर्णितानुसार समुचित जांच के लिए पुलिस अधीक्षक, पाली को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक **20.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली